एसबी आदेश सं. 01/2024

सं.113-03/2017-एसबी (पार्ट 1)
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(एफ़.एस. डिवीज़न)

डाक भवन, नई दिल्ली – 110001
दिनांक: 21.03.2024 / 28.03.2024

सेवा में,

सभी सर्कलों/क्षेत्रों के प्रमुख

विषय : दिनांक 01.04.2024 से लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में संशोधन।

महोदया/महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 08.03.2024 के ज्ञापन सं. 1/4/2019-एनएस (प्रति संलग्न) के तहत, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) ने यह सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही (1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 तक) के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं (राष्ट्रीय बचत योजनाओं) पर ब्याज दरें वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (1 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक) के लिए अधिसूचित दरों के समान ही रहेंगी।

2. अनुरोध किया जाता है कि इसे सभी संबंधितों के सूचनार्थ और आवश्यक मार्गदर्शन हेतु परिचालित करें। साथ ही, इसे सभी डाकघरों के सार्वजनिक क्षेत्र में लगाए गए नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाए।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(देवेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक निदेशक (एसबी-II)

संलग्न : यथोक्त

प्रति : अंग्रेजी पाठ के अनुसार।